तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28/12/2021	वकील अपीलांट उप.। वकील अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर फोरमल पक्षकार को बिना बहस सुने ही आदेश पारित किये जाने बाबत। साथ ही वकील अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन कि हस्तगत प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट फोरमल पक्षकार है। हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार से राजहित प्रभावित नही हो रहे है। अतः श्रीमान से निवेदन है उक्त प्रार्थना पत्र न्यायाहित मे स्वीकार किया जाकर फोरमल पक्षकार को बिना सुने ही हस्तगत प्रकरण में आदेश पारित का निवेदन किया। चुकि प्रकरण ग्रामिण क्षेत्र में संपरिवर्तन सबंधित है। केवल गलत नियमों का हवाला देकर पत्रावली को निरस्त कर दिया था। अतः हस्तगत प्रकरण को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित करने का निवेदन किया। उक्तानुसार वकील अपीलांट की की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में वकील अपीलांट द्वारा पेश उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। साथ ही वकील अपीलांट द्वारा दौरान बहस निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा समपरितर्वन करने के लिए अनुसंशा कर सहमती प्रदान की गई थी इसलिए तहसीलदार को फोरमल पक्षकार बनाया गया है। हस्तगत प्रकरणमे राजहित प्रभावित नही हो रहें है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से न्यायहित में स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी सांचोर के आदेश दिनांक 16.03.2021 को न्यायहित में अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में कृषि भूमि रूपान्तरण औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूल्स एवं नवीन जो भी आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये है उन कनवर्जन रूल्स की पालना करते हुए विधि के विहित प्रावधानों का अनुसरण करते हुए नियमानुसार आदेश जारी करावें। उक्तानुसार पत्रा. फोरल मुकर होकर दर्ज नम्बर के करा दो। पत्रा. दा. फस्टर दो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली